संख्या–3603 / बयालिस–2010–1–कालेज / 2009

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेलकूद अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 06 जनवरी, 2011

विषयः–वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए अवशेष छः माह हेतु गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ एवं वीरबहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर को सहायक अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–जी–567 / 2010–11, दिनांक 13 अक्टूबर ,2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ तथा वीरबहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर के सुचारू रूप से संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में वचनबद्ध व्यय को वहन करने के लिए श्री राज्यपाल महोदय लखनऊ स्पोर्ट्स कालेज हेतु सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता की मद में रू0 02,55,06,,000 / – (रू0 दो करोड़ ,पचपन लाख , छः हजार मात्र) तथा वेतन भत्ते आदि के लिऐ सहायक अनुदान की मद से रू0 3,34,99,00 / – (रू0 तीन करोड़, चौतीस लाख, नियानबे हजार मात्र) की बजट व्यवस्था के सापेक्ष अवशेष छः माह की द्वितीय किश्त के लिए 20 सहायक अनुदान की मद में रू0 1,27,53,000 / – (रू0 एक करोड़, सत्ताईस लाख, तिरपन हजार मात्र) तथा 43 वेतन आदि की मद से रूपया 1,67,49,500 / = (रू0 एक करोड़, सरसठ लाख, उन्चास हजार पॉच सौ मात्र) कुल रू0 2,95,02,500 / = (रू0 दो करोड़, पंच्चानबे लाख, दो हजार पॉच सौ मात्र) एवं वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज गोरखपुर हेतु सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता की मद में रू0 01,25,00,000 / = (रू0 एक करोड, पच्चीस लाख मात्र) तथा वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान की मद में रू0 65,070,00 / = (रू0 पैसठ लाख, सात हजार मात्र) की बजट व्यवस्था के सापेक्ष अवशेष छः माह की द्वितीय किश्त के लिए 20 सहायक अनुदान की मद में रू0 62,50,000 / = (रू0 बासठ लाख ,पचास हजार मात्र) तथा 43 वेतनादि की मद में रू0 32,53,500 / = (रू0 बत्तीस लाख, तिरपन हजार, पॉच सौ मात्र) की कुल धनराशि रू0 95,03,500 / = (रू0 पन्चानबे लाख, तीन हजार पॉच, सौ मात्र) की धनराशि की सहर्ष स्वीकृत निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है :–

1– उक्त द्वितीय किश्त की धनराशि का व्यय नियमानुसार ही किया जायेगा।

2– उक्त धनराशि स्वीकृत मदों के अतिरिक्त अन्य किसी भी मदो पर व्यय नही की जायेगी और न ही शासन के पूर्व अनुमति के बिना इसका पुर्नविनियोग ही किया जायेगा।

3– उक्त धनराशि का व्यय पूर्व वर्षो की देनदारियो पर नही किया जायेगा।

.....2 / /